

आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**- : आदेश :-**

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 नथूराम के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा फरझोद के खेत खसरा नम्बर 173 रकबा 2.3876 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 3226/488 रकबा 3.9078 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 3225/488 रकबा 0.0500 हैक्टेयर गै.मु. सरता रखा जाकर खातोदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 2 सुखदेवराम के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा फरझोद के खेत खसरा नम्बर 181 रकबा 1.9425 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातोदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमाश तुलछी, नर्वदा व सुन्दर के आराजी भूमि में से वंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर राजस्व रिकॉर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
4. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। सूचित हो।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आव. यक स्टाम्प भुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फेराल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(अभिलाषा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल

(अभिलाषा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल